

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय सम्मिलत हैं: प्रथम अध्याय में राज्य की वित्तीय स्थिति, योजना तथा लेखापरीक्षा का संचालन और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई सम्मिलत है। इस प्रतिवेदन के अध्याय दो में तीन निष्पादन लेखापरीक्षा तथा अध्याय तीन में विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षा जिसमें तीन योजनाओं की लेखापरीक्षा, एक अनुवर्ती लेखापरीक्षा तथा प्रारूप कंडिकाएँ सम्मिलत है। इस प्रतिवेदन में निष्पादन लेखापरीक्षा तथा अनुपालन लेखापरीक्षा के जाँच परिणम सम्मिलत हैं, जिनका कुल मौद्रिक मूल्य ₹3,033.44 करोड़ है।

लेखापरीक्षा भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग हेतु विहित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार संचालित की गई है। लेखापरीक्षा नमूनों का चयन सांख्यिकीय नमूना प्रणाली के साथ-साथ जोखिम आधारित विवेकपूर्ण नमूना के आधार पर किया गया है। प्रत्येक निष्पादन लेखापरीक्षा में अंगीकृत विवेकपूर्ण नमूना के आधार पर किया गया है। प्रत्येक निष्पादन लेखापरीक्षा में अंगीकृत विशिष्ट लेखापरीक्षा प्रक्रिया को दर्शाया गया है। लेखापरीक्षा निष्कर्ष निकाले गये हैं तथा अनुशंसाएँ सरकार के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए की गई है। मुख्य लेखापरीक्षा परिणामों का सारांश इस विहंगावलोकन में प्रस्तुत किया गया है।

1. कार्यक्रमों/कार्य-कलापों/विभागों का लेखापरीक्षा

(i) समेकित बाल विकास सेवाएँ की निष्पादन लेखापरीक्षा

समेकित बाल विकास सेवाएँ के निष्पादन लेखापरीक्षा में उद्घाटित हुआ कि समाज कल्याण विभाग, द्वारा समेकित बाल विकास सेवाओं के कार्यान्वयन के दौरान न तो कुपोषित/अति कुपोषित बच्चों की पहचान की गयी थी और न ही अल्पवजनी बच्चों की व्यापकता, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं में एनीमिया के मामले और शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर को कम करने से संबंधित कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

नमूना—जाँचित आँगनबाड़ी केन्द्रों में गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की उपलब्धता के साथ काफी हृद तक समझौता किया गया था क्योंकि कि शौचालयों, पेयजल, रसोईघर एवं बर्तन जैसी मूलभूत सुविधाएँ वहां उपलब्ध नहीं थी तथा राज्य में 72 प्रतिशत कार्यशील आँगनबाड़ी केन्द्रों के पास अपना भवन नहीं था।

आँगनबाड़ी भवनों के निर्माण एवं उन्नयन हेतु निधि उपलब्ध रहने के बावजूद, विभाग ने वर्ष 2014–15 तक निधि के आहरण हेतु बजट शीर्ष का निर्धारण नहीं किया था। अतः, परिणामस्वरूप विमुक्त राशि कोषागार से आहरित नहीं की जा सकी।

अधिकांश नमूना—जाँचित आँगनबाड़ी केन्द्रों में निर्धारित दिनों तक पूरक पोषण, प्री-स्कूल शिक्षा, रेफरल तथा दवाई कीट लाभुकों को प्रदान नहीं किया गया था। राज्य में पूरक पोषण की गुणवत्ता/पोषण मूल्य एवं विनिर्दिष्ट मानकों को सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित जाँच खाद्य एवं पोषण बोर्ड द्वारा नहीं किया गया था।

समेकित बाल विकास सेवाएँ के क्षेत्रीय पदाधिकारियों जैसे बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों, महिला पर्यवेक्षिकाओं और आँगनबाड़ी सेविकाओं को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक बसावट के पहचान हेतु कराये गए सूक्ष्म सवेक्षण अपर्याप्त थे और आँगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा कुपोषित बच्चों की पहचान नहीं की जा सकी।

अनुश्रवण में कमी ने योजना के कार्यान्वयन को प्रभावित किया क्योंकि 25 आँगनबाड़ी केन्द्र बंद पाये गये थे जबकि 195 आँगनबाड़ी केन्द्रों के भौतिक सत्यापन में से 22 आँगनबाड़ी केन्द्र में बच्चे उपस्थित नहीं थे।

कुल मिलाकर, विभाग के द्वारा केवल 76 प्रतिशत स्वीकृत आँगनबाड़ी केन्द्र का ही संचालन किया जा सका। आगे, माननीय उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) के निर्देश के बावजूद कि प्रत्येक बसावट में एक कार्यशील आँगनबाड़ी केन्द्र होना चाहिए और आई.सी.डी.एस. सेवाएँ छ: साल की उम्र तक के सभी बच्चों और सभी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रदान किया जाना चाहिए, आई.सी.डी.एस. सेवाएँ मात्र 44 से 46 प्रतिशत योग्य बच्चों, 55 से 58 प्रतिशत योग्य गर्भवती/स्तनपान कराने वाली माताओं और 10 से 20 प्रतिशत किशोरियों तक पहुँचाई गई, इस प्रकार आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत सेवाओं के व्यापिकरण का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका।

(कंडिका 2.1)

(ii) बिहार में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के कार्यान्वयन का निष्पादन लेखापरीक्षा

राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (रा.ग्रा.पे.का.) इंगित परिणाम प्राप्त नहीं कर सका तथा आर्सेनिक, फ्लोराईड एवं लौह संदूषण से प्रभावित जनसंख्या को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं कराया गया। वर्ष 2011–16 के दौरान वे या तो स्वीकृत योजना से आच्छादित नहीं थे या स्वीकृत योजनाँ अपूर्ण थी। परिणामस्वरूप, ₹609 करोड़ व्यय के बावजूद 4.67 लाख आर्सेनिक, 16.51 लाख फ्लोराईड एवं 79.06 लाख लौह प्रभावित जनसंख्या सुरक्षित पेयजल से वंचित रहा। कार्यक्रम के असफलता का मुख्य कारण आयोजना में कमी, कमजोर वित्तीय स्थिति तथा कार्यान्वयन में कमी था।

विभाग ने वर्ष 2011–16 के दौरान पाईप जलापूर्ति योजनाओं (पाईप.जला.यो.) के द्वारा बसावटों के आच्छादन हेतु बढ़ावा देने के लिए किसी रूपरेखा को विकसित नहीं किया। परिणामस्वरूप, बिहार पाईप जलापूर्ति से बसावटों के आच्छादन (छ: प्रतिशत) में पड़ोसी राज्य के साथ साथ राष्ट्रीय औसत (41 प्रतिशत) से काफी पीछे है। परिणामस्वरूप 94 प्रतिशत जनसंख्या अभी भी चापाकलों पर निर्भर था।

हालांकि, ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु जनसंख्या का रूपांकन वर्ष 2011 के नवीनतम जनगणना के आधार पर प्राक्कलन तैयार कर किया जाना था, छ: नमूना-जाँचित जिलों में मात्र 61 पाईप जलापूर्ति योजनाओं का कार्यान्वयन में जनसंख्या का रूपांकन वर्ष 2001 के जनगणना के आधार पर किया गया था। परिणामस्वरूप, विभाग पूरे 30 वर्ष के रूपांकित अवधि हेतु निर्दिष्ट जनसंख्या के लिए आवश्यक जल की माँग को उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं हो सकता है।

विभाग द्वारा अवर प्रमंडल स्तर पर एक भी जल जाँच प्रयोगशालाओं की स्थापना नहीं की गई थी। शत प्रतिशत स्रोतों का दो बार जैविक एवं एक बार रासायनिक जाँच के मानक के विरुद्ध जल गुणवत्ता की जाँच केवल आठ से 16 प्रतिशत कार्यशील स्रोतों का किया गया था। इस प्रकार, अधिकांश बसावट पीने का असुरक्षित जल का उपयोग करने के लिए बाध्य था। इस प्रकार, राज्य में अधिकांश बसावटों को असुरक्षित पीने के पानी के सहारे छोड़ दिया गया था।

(कंडिका 2.2)

(iii) मुख्यमंत्री ग्राम सङ्क क योजना का निष्पादन लेखापरीक्षा

मुख्यमंत्री ग्राम सङ्क योजना (एम.एम.जी.एस.वाई.) का कार्यान्वयन संपर्कविहीन गाँवों के विश्वसनीय आँकड़ों के बिना किया गया था, क्योंकि 500 से 999 आबादी (2001 की जनगणना के अनुसार) वाले संपर्कविहीन गाँवों की व्यापक नई सम्पर्क प्राथमिकता सूची

न तो तैयार की गई थी और न ही उसका पालन किया गया था। परिणामस्वरूप, ₹1,398.16 करोड़ के व्यय के बावजूद 183 गाँव संपर्कविहीन रह गये जबकि योजना के अन्तर्गत अपात्र गाँवों को भी सम्पर्कता प्रदान की गई।

ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा मार्च 2016 तक चयनित पात्र गाँवों को सम्पर्कता प्रदान नहीं किया गया क्योंकि कार्य अपूर्ण रह गये थे या संवेदकों द्वारा छोड़ दिये गये थे।

गाइड लाईन में, निर्धारित गुणवत्ता नियंत्रण का पालन नहीं किया गया था तथा मार्च 2016 तक मोबाइल क्वालिटी मॉनिटरिंग इकाइयों के 25 प्रतिशत निरीक्षण प्रतिवेदनों का अनुपालन लंबित था। जिसके फलस्वरूप, विभाग द्वारा कार्यान्वयन किये गये सड़क कार्यों की गुणवत्ता तथा कार्यकुशलता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

हालांकि, वर्ष 2014–15 तक निर्मित सड़कों में अनुरक्षण का कार्य किया जाना था, 78 प्रतिशत सड़कों में यह नहीं किया गया।

इस प्रकार, राज्य में योजना का एक दशक पूर्ण होने के बावजूद भी 500 से 999 की जनसंख्या वाले सभी संपर्कविहीन गाँवों को सम्पर्कता प्रदान करने का इच्छित लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ।

(कांडिका 2.3)

2. अनुपालन लेखापरीक्षा

(i) राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लेखापरीक्षा

प्रत्येक राज्य/क्षेत्र के तुलनात्मक लाभ के अनुरूप क्षेत्र आधारित भिन्न कार्यनीतियाँ जिसमें अनुसंधान, तकनीक संवर्द्धन, विस्तार, कटाई पश्चात् प्रबंधन, प्रसंस्करण एवं विपणन सम्मिलित हैं, के माध्यम से बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005–06 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.) शुरू किया गया था।

राज्य में परिप्रेक्ष्य योजना की तैयारी के बिना राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.) को कार्यान्वित किया। वार्षिक कार्य योजना में जिलों के अनेक फसलों के सामर्थ्य तथा प्राथमिकता को ध्यान में नहीं रखा गया।

एन.एच.एम. के तहत् नए बागों का क्षेत्र विस्तार के लिए अनुदान की स्वीकृति, वृक्षारोपण स्थल, कलस्टर दृष्टिकोण के अंगीकरण की आवश्यकता और पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी की उपयुक्ता का आकलन किये बिना किया गया था।

एन.एच.एम. निधि से स्थापित बीज प्रसंस्करण इकाइयाँ सितम्बर 2013 से अकार्यरत थे। कटाई पश्च प्रबन्धन के अंतर्गत पहल जैसे—बागवानी उत्पादन की विपणनता विस्तार, भण्डार सुविधाओं को उत्पन्न करना और ग्रामीण बाजार आदि राज्य की आधारभूत आवश्यकता को पूरा करने लिए पर्याप्त नहीं थी।

वर्ष 2011–16 के दौरान राज्य में जैविक खेती के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्र विस्तार मात्र सात प्रतिशत था जो कि नाममात्र था, जबकि इस दौरान राज्य में जैविक प्रमाणीकरण का कुछ भी कार्य नहीं किया गया था।

(कांडिका 3.1)

(ii) मध्याह्न भोजन योजना के संचालन की लेखापरीक्षा

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के नामांकन प्रतिधारण और उपस्थिति बढ़ाने और पोषण स्तर में वृद्धि के लिए भारत सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा को पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन योजना) का शुभारंभ (अगस्त 1995) किया गया।

मध्याह्न भोजन योजना का संचालन, राज्य की आवश्यकता को सही ढँग से संबोधित नहीं कर सका क्योंकि मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत कम बच्चों के नामांकन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिससे 33 से 57 प्रतिशत नामांकित बच्चे मध्याह्न भोजन से वंचित रह गये थे।

कई मामलों में आवंटित खाद्यान्न का उठाव जिला स्तर पर राज्य से नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, नमूना-जाँचित विद्यालयों में मध्याह्न भोजन को अनिवार्य दिनों की तुलना में कम दिनों तक परोसा गया था।

रसोईघर के उचित शेड के अभाव में मध्याह्न भोजन विद्यालयों के वर्गकक्षों एवं गलियारों में तैयार किये जाते थे। मध्याह्न भोजन के जिला कार्यालयों में स्वच्छ औसत गुणवत्ता वाले खाद्यान्न के उपयोग से संबोधित अभिलेख संधारित नहीं थे। आगे, बच्चों को वितरित किये जाने वाले गुणवत्तायुक्त भोजन को सुनिश्चित करने हेतु राज्य में खाद्यान्न के जाँच हेतु कोई संस्थान उपलब्ध नहीं था।

योजना का अप्र्याप्त अनुश्रवण, योजना के कार्यान्वयन में एक मुख्य अवरोध था क्योंकि प्र्याप्त संख्या में राज्य/जिला/प्रखण्ड स्तर पर संचालन-सह-अनुश्रवण समिति की बैठक नहीं हुई थी। इसके अलावे, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/प्रखण्ड संशाधन सेवी द्वारा भी विद्यालयों में निर्धारित संख्या में अनुश्रवण नहीं किया गया था।

(कांडिका 3.2)

(iii) पुलिस बल आधुनिकीकरण की लेखापरीक्षा

राज्य पुलिस बल की क्षमता निर्माण में वृद्धि के लिए वर्ष 1969-70 से पुलिस बल आधुनिकीकरण (एम.पी.एफ.) योजना, भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है।

पिछले साढ़े चार दशक से पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना कार्यान्वित रहने के बावजूद, वर्तमान में भी राज्य, कानून और व्यवस्था के लिए केंद्रीय बलों पर निर्भर था। यह स्थिति वार्षिक कार्य योजना की तैयारी में पुलिस अनुसंधान एवं विकास व्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार राज्य पुलिस बल की आवश्यकता को चिह्नित एवं मूल्यांकित न कर पाने के कारण था। इसके अलावा, वार्षिक कार्य योजना जिलों से प्राप्त इनपुट पर भी आधारित नहीं था।

आगे, विभाग द्वारा एम.पी.एफ. निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप बलों के लिए इमारतों, हथियारों और वाहनों की कमी थी। योजना के फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला घटक उपेक्षित बने रहे, क्योंकि वर्ष 2011-16 के दौरान उनमें सुधार के लिए राशि उपलब्ध नहीं कराया गया था और दो वर्षों से पुराने मामले विश्लेषण के लिए लंबित थे।

अधिप्राप्ति प्रक्रिया भी विवेकहीन/देरी के निर्णय से प्रभावित रहा तथा योजना के अन्तर्गत विहित अनुश्रवण सुनिश्चित नहीं किया गया था।

(कांडिका 3.3)

(iv) माध्यमिक शिक्षा योजना के निष्पादन लेखापरीक्षा की अनुवर्ती लेखापरीक्षा

शिक्षा विभाग द्वारा मार्च 2010 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रतिवेदित माध्यमिक शिक्षा योजना निष्पादन लेखापरीक्षा के स्वीकृत अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के प्रगति को अँकने के लिए अनुवर्ती लेखापरीक्षा की गई थी।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा में उद्घाटित हुआ कि शिक्षा विभाग द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षा के अनुशंसाओं के अनुरूप कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया।

शिक्षा विभाग द्वारा न तो माध्यमिक विद्यालयों के आधारभूत संरचना में सुधार किया गया और न ही वित्तीय प्रबंधन में अनुशासन लागू किया गया। परिणामतः 22 प्रतिशत नमूना—जाँचित विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा हेतु वर्गकक्ष नहीं थे एवं छः से 33 प्रतिशत प्रावधानित बजट बिना खर्च किये रह गए।

शिक्षा विभाग ने किसी भी माध्यमिक विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने हेतु कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। नमूना—जाँचित जिलों में कम्प्यूटर शिक्षा 1,667 विद्यालयों में से केवल 210 विद्यालयों में उपलब्ध कराया गया था।

कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु प्रभावी अनुश्रवण पद्धति विभाग द्वारा अभी तक स्थापित नहीं किया जा सका था क्योंकि नमूना—जाँचित जिलों में वर्ष 2011–14 के दौरान जिले के अधिकारियों द्वारा कोई भी निरीक्षण नहीं किया गया था जबकि वर्ष 2015–16 के दौरान केवल तीन प्रतिशत विद्यालयों का निरीक्षण किया गया था।

इसके अलावा, शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक पंचायत में माध्यमिक विद्यालय की स्थापना के अपने संकल्प को कार्यान्वयन नहीं किया गया था।

(कंडिका 3.4)

(v) प्रारूप कंडिकाएँ

लेखापरीक्षा ने संवेदनशील क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कमियों को पाया, जो राज्य सरकार की प्रभावशीलता को प्रभावित करता है। अनुपालन लेखापरीक्षा में उत्पन्न कुछ प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष (12 कंडिकाओं) को प्रतिवेदन में प्रस्तुत किया गया है। प्रमुख अवलोकन नियमों एवं विनियमों के गैर—अनुपालन, औचित्य के विरुद्ध लेखापरीक्षा तथा बिना पर्याप्त औचित्य के व्यय के मामले एवं दृष्टिचूक/शासकीय विफलता से संबंधित है, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बोधगया (अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चेरकी और खजवटी), पालीगंज (पटना) तथा सहदेई बुर्जुग (वैशाली) के संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों, असैनिक शल्य चिकित्सकों और कोषागारों द्वारा अनुश्रवण के अभाव, लापरवाही एवं विहित नियमों के अनुपालन एवं नियंत्रण में विफलता ने ₹1.66 करोड़ की अवैध निकासियों को सहायतित किया। इसके अलावा, ₹9.03 करोड़ के व्यय के साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे।

(कंडिका 3.5.1)

- आंतरिक नियंत्रण की कमी के साथ—साथ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तथा अंचलाधिकारी पतरघट (सहरसा) व जिला प्रशासन, सहरसा की ओर से वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में की गयी लापरवाही के फलस्वरूप ₹81.57 लाख की सरकारी राशि का दुर्विनियोजन हुआ।

(कंडिका 3.5.2)

- नदी तट में वन/भूमि के कटाव के विरुद्ध ससमय उपाय नहीं होने तथा पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की लापरवाही के कारण लगभग

₹621.47 करोड़ की लागत की वाल्मीकी व्याघ्र रिजर्व, बेतिया में वन एवं भूमि संपदा का कटाव हुआ।

(कांडिका 3.5.3)

- उद्योग विभाग, बिहार सरकार के निर्देश के विपरीत आधारभूत विकास प्राधिकरण और जिलाधिकारी, भागलपुर द्वारा ₹308.96 करोड़ की राशि को 161 दिनों तक राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत खाता से बाहर रखा गया जिसके परिणामस्वरूप ₹5.45 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(कांडिका 3.5.4)

- वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा आवश्यकता का आकलन किये बिना पॉपलर पौधों की अधिप्राप्ति, आयोजना में कमी तथा बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधान के बिना अधिप्राप्ति के फलस्वरूप सरकार को ₹चार करोड़ की हानि हुई।

(कांडिका 3.5.5)

- छ: चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों के अधीक्षकों द्वारा दर अनुबंधों की शर्तों को लागू किए जाने में विफलता एवं स्थानिक निविदा द्वारा किए जा रहे क्रियों में जाँच –शुल्कों की कटौती के प्रावधानों के नहीं रहने के कारण ₹71.89 लाख का आधिक्य एवं ₹73.69 लाख परिहार्य भुगतान हुआ।

(कांडिका 3.6.1)

- कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, वीरपुर द्वारा उच्च क्षमता संबंध से आवासीय कॉलोनी में विद्युत आपूर्ति के निर्णय तथा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थिर निम्न क्षमता दरों से वसूली के परिणामस्वरूप बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ₹22.11 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

(कांडिका 3.7.1)

- कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, खगड़िया सं.-2 के द्वारा भूमि अधिग्रहण के बिना कार्य की शुरूआत एवं बीच में रुकावट के परिणामस्वरूप अधूरे कार्य पर ₹14.13 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ, साथ ही योजना के अन्तर्गत अभीष्ट लाभ से भी वंचित रहे।

(कांडिका 3.7.2)

- पथ निर्माण विभाग द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पूर्व कार्य आवंटन के अविवेकपूर्ण निर्णय तथा वित्तीय मूल्य के ऊपरी सीमा से अधिक के एकरारनामा के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप राजकोष पर ₹3.24 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ा जिसके विरुद्ध विभाग ने संवेदक को ₹2.34 करोड़ का भुगतान पूर्व में ही कर दिया था।

(कांडिका 3.7.3)

- तकनीकी सलाहकार समिति तथा अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गया द्वारा बिना उचित सर्वेक्षण, आयोजना एवं स्थल निरीक्षण के त्रुटिपूर्ण डिजाईन की अनुशंसा के परिणामस्वरूप पाईन सिंचाई प्रणाली के पुनरुद्धार पर ₹2.33 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(कांडिका 3.7.4)

- बिहार लोक कार्य विभागीय संहिता के विरुद्ध मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग (उत्तर), मुजफ्फरपुर के निर्देश पर कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, मधुबनी द्वारा प्राथमिक एकरारनामा में पूर्व में सम्मिलित मद के लिये अधिक दर पर अनुपूरक एकरारनामा के कार्यान्वयन के फलस्वरूप ₹1.92 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

(कंडिका 3.7.5)

- बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के पालन में विफलता, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा अनुश्रवण का अभाव, कमजोर आंतरिक नियंत्रण एवं अक्रियाशीलता के कारण 115 व्यक्तियों के विरुद्ध ₹1.88 करोड़ की असमायोजित अग्रिम एक से 44 वर्षों की अवधि तक पड़ी रही।

(कंडिका 3.8.1)